

कार्यालय उपायुक्त कुल्लू जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश।
अनुपलब्धता प्रमाण पत्र

District Tourism Development Officer, Kullu District Kullu (HP), से प्राप्त पत्र संख्या 16-6/2020-DTO-TSM-WSA-1873 दिनांक 13/11/2020 के सम्बन्ध में संलग्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 19/11/2020 सहित for the Construction of Way Side Amenities (WSA), near Atal Rohtang Tunnel (South Portal), Tehsil Manali, District Kullu (HP), हेतु प्रस्तावित सरकारी/वन भूमि रकबा तादादी 00-36-44 हैक्टेयर के हस्तान्तरण बारे अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध किया गया है। संयुक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त प्रस्तावित सरकारी/वन भूमि न्यूनतम एवं अधिक उपयुक्त है तथा उपरोक्त प्रयोजन हेतु प्रस्तावित सरकारी/वन भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि उपलब्ध न है।


अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तावित सरकारी/वन भूमि 00-36-44 हैक्टेयर District Tourism Development Officer, Kullu District Kullu (HP), को उपरोक्त प्रयोजन हेतु अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

(डॉ० ऋचा वर्मा, भा०प्र०से०)
उपायुक्त कुल्लू।

पृष्ठांकन संख्या: 1628-1630 / डी०आर०ए० दिनांक: 27/11/2020.

प्रतिलिपि सेवा में:-

1. वन मण्डल अधिकारी, कुल्लू जिला कुल्लू को प्रेषित कर अनुरोध है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग की अन्तिम स्वीकृति प्राप्त होने पर उसकी एक प्रतिलिपि आगामी आवश्यक कार्यवाही के लिए तुरन्त इस कार्यालय को प्रेषित करें।
2. उप मण्डल अधिकारी (ना०), मनाली जिला कुल्लू को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. District Tourism Development Officer, Kullu District Kullu (HP), को उनके उपरोक्त पत्र सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


(डॉ० ऋचा वर्मा, भा०प्र०से०)
उपायुक्त कुल्लू।